न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 07 / 2023

जीसीएमएस. रजि. संख्या : 2023 / 62

प्रार्थीपक्ष :–

श्री लालसिंह पिता दौलाजी
पेशा उचित मुल्य दुकानदार
ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम
पोस कोड 6204, बांसवाडा,
जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री राजेन्द्र पाटीदार
(अधिवक्ता अपीलार्थी)

विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक :– 07–06–2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री लालसिंह पिता श्री दौलाजी पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सामरिया बांसवाडा जिला बांसवाडा राजस्थान की उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204, बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) की शिकायत प्राप्त होने पर निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 10–11–2022 को जॉच की जाकर दिनांक 11–11–2022 को जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा प्रकरण 71 / 2022 दर्ज कर अपीलार्थी को दिनांक 14.11.2022 को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204, बांसवाडा का प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना का कुल 135.66 क्विं गेहुँ का गबन पाये जाने गोदाम में 490 किग्रा चीनी का स्टॉक भी नही पाये जाने पर दिनांक 21.03.2023 को श्री लालसिंह पिता श्री दौलाजी पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सामरिया बांसवाडा जिला बांसवाडा राजस्थान

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

की उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204, बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.) का प्राधिकार पत्र सं. 488/1996 को निरस्त कर संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त करने निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथीत व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 15.09.2023 को रेस्पोण्डेंट जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत सामरिया भाग–प्रथम पोस कोड नम्बर 6204 की उचित मूल्य दुकानदार लालसिंह/दौलाजी को माह सितम्बर 2022 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कलयाण अन्न योजनान्तर्गत दिनांक 01.09.2022 को 135.66 क्विं. गेहूं उपलब्ध करवाया गया था, जिसका वितरण माह अक्टूबर 2022 में किया जाना था। ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि 31 उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच और उनके बकायो के आधार पर इन्हें माह अक्टूबर 2022 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं देना पाया गया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं नहीं देना एवं इनका झूठा इन्द्राज दर्शाकार 4.80 क्विं गेहूं का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। किसी भी उपभोक्ता द्वारा गेहूं प्राप्त होना नहीं बताया गया। इससे प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा पीएमजीकेएवाय का 135.66 क्विं गेहूं उपभोक्ताओं में वितरण नही कर और उसका झूठा इन्द्राज कर गबन किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 14.11.2022 को उसका प्रधिकार–पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही दिनांक 08.11.2022 को डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना सदर बांसवाडा में एफआईआर दर्ज करवाई गई। डीलर को दिनांक 14.11.2022 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब

उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। डीलर द्वारा दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थना–पत्र देकर दुकान से त्याग–पत्र प्रस्तुत किया। इसे स्वीकार नहीं किया जाकर प्रकरण में निर्णय किया जाकर दिनांक 21.03.2023 को उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। इस प्रकार इस कार्यालय द्वारा तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित कर नियामानुसार प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। श्रीमान से निवेदन है कि लालसिंह/दौलाजी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक 07.06.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 21.03.2023 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार चार माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय और कानून की जानकारी नही थी एवं कोरोना काल होने से अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्‌भाविक एवं न्याय संगत होकर क्षम्य किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपील मैमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी डीलर श्री लालसिंह पिता दौलाजी उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सामरिया बांसवाडा जिला बांसवाडा राजस्थान की उचित मुल्य दुकान ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम, बांसवाडा की उचित मुल्य की दुकान का निरीक्षण

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा दिनांक 10–11–2022 को जाँच की जाकर दिनांक 11–11–2022 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना माह सितम्बर 2022 के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को प्रति सदस्य 5 किग्रा. निःशुल्क गेहुँ उपलब्ध कराया जाना था। जिसमे प्रवर्तन अधिकारी द्वारा 31 उपभोक्ताओ के बयान लिये गए। उपभोक्ताओ द्वारा किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नही की गई है। जो मौखिक शिकायत की गई वह राजनैतिक कारणो द्वारा झुठी शिकायत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को बराबर समय पर नियमित रुप से नियंत्रित सामग्री का वितरण किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान भी राज्य और केन्द्र सरकार के आदेशानुसार समाज के सभी वर्गो को खाद्य सामग्री का वितरण किया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मुल्य की जाँच की गई तो मौका पर्चा अनुसार 480 किग्रा गेहुँ दर्शाया गया था जो कि रेकार्ड के अनुसार स्टॉक के रुप में प्राप्त हुआ था जो सही मात्रा में था। अपीलार्थी के रजिस्टर में इन्द्राज सही है गेहुं, शक्कर व अन्य राशन सामग्री का वितरण भी प्रति युनिट निर्धारित मात्रा के अनुसार किया गया है और वितरण का रिकॉर्ड में भी स्पष्ट अंकन है। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का निर्णय दिनांक 21.03.2023 को अपास्त फरमावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र सं. 488/1996 को पुनः बहाल किया जावे एवं प्रतिभूति राशि दिलाई जावे।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम पंचायत सामरिया भाग–प्रथम पोस कोड नम्बर 6204 की उचित मूल्य दुकानदार लालसिंह/दौलाजी को माह सितम्बर 2022 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कलयाण अन्न योजनान्तर्गत दिनांक 01.09.2022 को 135.66 क्विं. गेहूं उपलब्ध करवाया गया था, जिसका वितरण माह अक्टूबर 2022 में किया जाना था। ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा द्वारा जांच करने पर पाया गया कि 31 उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच और उनके बकायो के आधार पर इन्हें माह अक्टूबर 2022 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहू देना पाया गया और प्रधानमंत्री गरीब

कल्याण अन्न योजना का गेहूं नहीं देना एवं इनका झूठा इन्द्राज दर्शाकार 4.80 क्विं गेहूं का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। किसी भी उपभोक्ता द्वारा गेहूं प्राप्त होना नहीं बताया गया। इससे प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा पीएमजीकेएवाय का 135.66 क्विं गेहूं उपभोक्ताओं में वितरण नही कर और उसका झूठा इन्द्राज कर गबन किया गया। गोदाम में 490 किग्रा चीनी का स्टॉक भी नही पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 14.11.2022 को उसका प्रधिकार–पत्र निलम्बित किया गया। साथ ही दिनांक 08.11.2022 को डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना सदर बांसवाडा में एफआईआर दर्ज करवाई गई। डीलर को दिनांक 14.11.2022 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। डीलर द्वारा दिनांक 21.11.2022 को प्रार्थना–पत्र देकर दुकान से त्याग–पत्र प्रस्तुत किया। इसे स्वीकार नहीं किया जाकर प्रकरण में निर्णय किया जाकर दिनांक 21.03.2023 को उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। इस प्रकार इस कार्यालय द्वारा तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित कर नियामानुसार प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी बांसवाडा के आदेश दिनांक 21.03.2023 एवं प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा की रिपोर्ट अनुसार राशन डीलर द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का ही वितरण किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के गेहुं वितरण के दौरान उपभोक्ता का सिर्फ पोस मशीन पर अंगुठा लगवाया किन्तु उक्त योजना के अन्तर्गत गेंहुं का वितरण नही किया गया। जाँच किए गऐ 31 राशनकार्ड के अनुसार राशनकार्ड में सिर्फ नियमित गेहुं का इन्द्राज किया गया परन्तु पोस मशीन पर प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के गेहुं के ट्रांजेक्शन हेतु अंगुठा लगवाया जाना पाया। राशन डीलर द्वारा उपभोक्ताओ को पोस मशीन की पर्ची भी नही दी गई। गोदाम में गेहुं स्टॉक अनुसार पाया गया। ऑन लाईन वितरण रिर्पोट अनुसार राशनकार्ड में इन्द्राज पाया गया है। हालांकि 31 उपभोक्ताओ ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण

योजना के तहत गेंहुं नही मिलने के सम्बन्ध में बयान दिये है। गोदाम में 490 किलोग्राम चीनी का स्टॉक नही पाया गया। गेहुं वितरण की ऑन लाईन रिर्पोट एवं स्टॉक अनुसार बराबर पाया गया है। परन्तु पोस मशीन की पर्ची नही दिया जाना एवं उपभोक्ताओ के बयान से इस तथ्य को खारिज नही किया जा सकता कि मात्र अंगुठा लगवाकर अतिरिक्त गेहुं को खुर्द बुर्द किया गया हो। पोस मशीन की वितरण पर्ची समस्त उपभोक्तओ को दिया जाना अनिवार्य है। ऐसा नही किया जाना प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश एफ 13(49) खा.वि./ आवंटन/ 2015–II दिनांक 05.08.2016 की अवहेलना है। साथ ही चीनी का स्टॉक भी नही पाया गया है।

अतः राशन डीलर श्री लालसिंह पिता दौलाजी पेशा उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सामरिया भाग प्रथम पोस कोड 6204, बांसवाडा के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2023 उचित प्रतित होता है। अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाडा